

FORM NO. III

फॉर्म अहकाम

नियम 28

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलयर)

हिमोशी पुत्री स्व श्री शमनिवारा सिंह शशपरशत माता श्रीमती रुक्मणी जाति राजपूत निवासी

गिगलाना तह0 नीमराना

बनाम


अजीत सिंह पुत्र श्री बहादुर जाति राजपूत निवासी गिगलाना तह0 नीमराना

किरण मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट

न0

33

सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>31.01.2024 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का प्रकरण पृथम दृष्टया वनता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1025,1027,1143,1145,1154 कुल क्रिता 05 वाके ग्राम गिगलाना तह0 नीमराना जिला कोटपुतली-बहरोड़ राजस्थान के राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। प्रार्थीया रजि0 तलवाना पेश करें प्रार्थीया यदि रजि0 तलबाना पेश करने में यदि विफल रहते हैं तो उक्त आदेश अपास्त माना जाएगा। बाद तलबी पत्रावली दिनांक 20.3.02024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)</p>	

फर्द अहकाम

(नियम 25)

तत मुकाम
 बनाम
 नं० सन्

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>20-3-24 को यह पत्रावली पेश हुई ... को वकील उपस्थित है ... को समय प्राप्त है। पत्रावली बास्ते ... को दिनांक 15-9-24 को पेश है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नमरना (कोटपुतली-बहराइ)</p>	
	<p>15-9-24 को यह पत्रावली पेश हुई ... को वकील उपस्थित है ... को समय प्राप्त है। पत्रावली बास्ते ... को दिनांक 3-7-24 को पेश है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नमरना (कोटपुतली-बहराइ)</p>	
	<p>3-7-24 को यह पत्रावली पेश हुई ... को वकील उपस्थित है ... को समय प्राप्त है। पत्रावली बास्ते ... को दिनांक 2-7-24 को पेश है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नमरना (कोटपुतली-बहराइ)</p>	

माल धारणा - पत्र 212 को यी
 के माफ पेश हुआ। पत्रावली में
 बिल-वाफ अहम पेश की व अहम
 हाली में शारील को पुका है,
 अतः धारणा - पत्र 212 को यी
 अहम पेश की व अहम हाली

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जण

में खारीज किया जाता है। फलस्वरूप
केवल शुद्धा टैक्स जम्मा ले कर
ही। बाद पूर्ण मूल-वार हिलग रहे।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमराना (कोटपहाली-बरेली)

उपखण्ड अधिकारी
(कोटपहाली-बरेली)

उपखण्ड अधिकारी
(कोटपहाली-बरेली)